

न्यायिक कार्य स्थगित/अधिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 26.7 को पेश हो।

6.6.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादिया उपस्थित
विपक्षीय के सम्मन बाद तामिल लेख प्राप्त
हुए जिसे शाप पत्र किया गया। पत्रावली
वास्ते विपक्षीय के पिकट आग्रिम कार्यवाही
हेतु नियत दिनांक 26.7.24 को पेश हो।

26-7-24 पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया अनुपस्थित
वादिया एवं वादिया के अधिवक्ता के कितनी
बार क्लक-कुक कर आवाजे दिलायी जाने के
उपरान्त भी उपस्थित नहीं। वकील वादिया के
अनुपस्थित रहने से वादिया का वाद पत्र भ्रम
हाजरी / अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा